मृत-प्राय: नदियों के पुनरुद्धार के लिए जापान का प्रस्ताव

1574. **श्री राम जेठमलानी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 सितम्बर, 1996 के 'फाइनेशियल एक्सप्रैस' में "जापान ऑफर्स टैक्नोलॉजी टु रिवाइव डैड रिवर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में मृत-प्राय: नदियों को वास्तव में पुन: स्वच्छ और प्रवाहमय बनाने के लिए जापान को पेशकश पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में सरकार को जापान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठाता।

Development of Poultry

1575. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set-up National Poultry Development Board on the pattern of National Dairy Development Board (NDDB) for harnessing huge potential for development of poultry in rural areas and provide gainful employment to many unemployed youths;

(b) if so, the details of the proposal/activities planned State-wise and financial resources provided alongwith the targets set for the current year, particularly for Maharashtra;

(c) the present status of poultry development State-wise by standard parameters and phased plan of poultry development during the next five years, particularly in Maharashtra; and

(d) the new policy initiatives taken by Government and impact thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A proposal to constitute a National Poultry Development Board is under the consideration of Government. Details are being worked out in consultation with State Governments and other Departments of the Government of India.

सेवा-निवृत्त/मृत कर्मचारियों हेतु देय-राशियों के अंतिम भुगतान के मामले

1576. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के राजकोट, बडोदरा, भावनगर और रतलाम डिवीज़नों में सेवा-निवृत्त/मृत्त रेल कर्मचारियों के देय-राशियों के अंतिम भुगतान के कितने मामले तीन माह से भी अधिक समय से लम्बित है;

(ख) इन मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कानण है;

(ग) क्या इन मामलों के निपटान में विलम्ब की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) सभी मामलों में देय-राशियों के शीघ्र भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) सेवा-निवृत्त/मृत्त रेल कर्मचारियों की बकाया राशि के अंतिम भुगतान के लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

राजकोट मंडल	--	10 मामले
बडोदरा मंडल	--	10 मामले
भावनगर मंडल	--	10 मामले
रतलाम मंडल	--	18 मामले

(ख) अंतिम भुगतान करने में हुए विलंब के निम्नलिखित कारण हैं:--

1. मृत रेल कर्मचारियों के संबंधियों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र विलंब से प्रस्तुत किया जाना।
2. परिवार के सदस्यों कर्मचारियों द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत न किया जाना।
3. दावाकर्त्ता द्वारा कानुनी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया जाना।
4. जहां दावाकर्ता अवयस्क है वहां मृत रेल कर्मचारियों के परिवारों से संरक्षक प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना।